न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	कैलीराम बनाम डॉ. गोवर्धनलाल वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 30/2017 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-8-18	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2,3,5 उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा की टिप्पणी पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता अप्रार्थी के 2 व 5 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में श्री गोरधनलाल शर्मा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण के उक्त तथ्य के सम्बंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है अतः प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा का स्थानांतरण हो जाने के कारण विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्थानांतरण स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा में विचाराधीन प्रकरण नं. 212/09 उनवानी लाला बनाम कैलीराम को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को भिजवाई जावे बजाब्ता फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं अभिलेख [illegible] नजर हो। निर्णय आज दिनांक 24-8-18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। ह0 अति0 जिला कलक्टर दौसा।	